बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांकः– मु०अ०(नि० एवं गु0नि0)सु0सं0यो0–22–09/2025 - 2870 /पटना, दिनांक–10/06/25

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा०प्र०से०
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– सुलभ संपर्कता **योजना** शीर्ष –4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष– 103– ग्राम विकास, उपशीर्ष– 0120– अतिरिक्त सुलभ संपर्कता –सात निश्चय–2 विपत्र कोड–37–4515– 00–103–0120 **के अन्तर्गत बिहार राज्य के पटना एवं लखीसराय जिला में (परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 02 (दो) पथों के निर्माण पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार सुलभ संपर्कता **योजना शीर्ष**–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष– 103– ग्राम विकास, उपशीर्ष– 0120– अतिरिक्त सुलभ संपर्कता–सात निश्चय–2 विपत्र कोड–37–4515– 00–103–0120 **के अन्तर्गत बिहार राज्य के पटना एवं लखीसराय जिला में (परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 02 (दो) पथों के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

परिशिष्ट–1

Sl No	Division	Block	Road Name	Length (in km)	Cost of Construction (in lacs)	Cost of 6-years Operation & Management (O&M) cost (in lacs)	Emergent & Price Adjustment @ 15% Cost (in lacs)	Administrative Cost and Contigency Cost [@ 2.25% +1%] (in lacs)	Total Estimated Cost (in lacs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Danapur	Phulwari Sharif	Construction of Approach road from Saristabad- Nathupur- Bhusaula (Proposed NHAI Road) path for ITBP Camp/Office to Nawada Village	0.6	73.394	4.501	11.684	2.532	92.111
2	Lakhisarai	Chanan	Dharampur Temple to Nimiya Tanr	1.14	129.221	8.107	20.599	4.462	162.389

1. इन योजनाओं के नवनिर्माण के कार्य को एक वर्ष में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल इन योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

4. इन योजनाओं का व्यय सुलभ संपर्कता योजना शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, विपत्र कोड–37–4515– 00–103–0120 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 मे उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. इन योजनाओं के नवनिर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की राशि एवं कटिजेंसी की राशि का व्यय का विकलन शीर्ष 4515 से भारित होगा।
6. सुलभ संपर्कता योजना शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, विपत्र कोड–37–4515–00–103–0120 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में 175.00 करोड़ रुपये का कुल आवंटित बजट उपबंध स्वीकृत है।
7. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए संबंधित कार्य अंचल के अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
8. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेगें कि ये योजनायें किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
9. उक्त योजनाओं का निर्माण निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में विभागीय चयनोपरान्त किया गया है।
10. परिशिष्ट–1 के क्रमांक–1 पर वर्णित कार्य प्रमण्डल, दानापुर के अधीन फुलवारीशरीफ प्रखंडान्तर्गत Construction of Approach road from Saristabad- Nathupur- Bhusaula (Proposed NHAI Road) path for ITBP Camp/Office to Nawada Village पथ से संबंधित पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश पत्रांक 1407 दिनांक 11.04.2025 को रद्द किया जाता है।
11. इस योजना की स्वीकृति समीक्षा प्राधिकार विभागीय स्थायी वित्त समिति के अनुशंसोपरांत अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा संचिका संख्या–मु०अ०(नि० एवं गु0नि0)सु0सं0यो0–22–09/2025 के पृष्ठ संख्या– 02/टि० पर प्राप्त है।
12. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या– मु०अ०(नि० एवं गु0नि0) सु0सं0यो0–22–09/2025 के पृष्ठ संख्या– 05/टि० पर दिनांक -04/06/25 को प्राप्त है।
13. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
15. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
16. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
17. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
18. उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका 17 के आलोक में स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।

19. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यो को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा।

उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएगें।

विश्वासभाजन

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः– मु०अ०(नि० एवं गु0नि0)सु0सं0यो0–22–09/2025 -2870 /पटना, दिनांक–10/06/25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार(लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

ज्ञापांकः– मु०अ०(नि० एवं गु0नि0)सु0सं0यो0–22–09/2025 -2870 /पटना, दिनांक–10/06/25

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

ज्ञापांकः– मु०अ०(नि० एवं गु0नि0)सु0सं0यो0–22–09/2025 -2870 /पटना, दिनांक–10/06/25

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ब्राडा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–1 एवं 3 ग्रामीण कार्य विभाग, पटना प्रक्षेत्र/मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव